

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

अ० सू० सं०-ऊर्जा स्था० विविध-20/2016 ०।

पटना, दिनांक:- 31/01/2017

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 (बिहार अधिनियम,19,2015) के अधीन श्री अनिरुद्ध कुमार, भा० प्र० से०, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना का प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विनोदा नन्द झा),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

/दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- श्री अनिरुद्ध कुमार, भा० प्र० से०, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

/दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- उप सचिव प्रेस (ई-गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रण हेतु (सी०डी० एवं दो हार्ड प्रति के साथ) सूचनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 210

/दिनांक:- 31/01/2017

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि विभाग के बेवसाइट पर अपलोड करेंगे।

सरकार के उप सचिव।